उनवान:– अमरसिंह बनाम धनसिंह

:–12/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक:– 03.03.2023

जिला–करौली

0 12/2023

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

मरसिह पुत्र श्रीमन जाति गूर्जर निवासी देवलेन तहसील टोडाभीम। (सायल)

बनाम

सिंह पुत्र श्रीमन जाति गूर्जर निवासी देवलेन तहसील टोडाभीम।

(गैरसायल)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री रामावतार शर्मा एडवोकट सायला

दिनांक 29.10.2024

निर्णय

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार कि ग्राम देवलेन की आराजी ख0न0 1052/2564/0.09, 1096/0.34, 1099/0.33, 1100/0.02, 4/0.13, 501/0.14, 502/0.05, 503/0.09, 504/0.20, 920/0.24, 924/0.15, 925/0.10, 6/0.10, 927/0.11, 928/0.13, 929/2639/0.07 कुल किता 16 कुल रकवा 2.29 है0 मे यल बहिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार दर्ज है बकिया हिस्से का गैरसायल व दावे के तिवादी न0 2 ता 9 अपने–अपने हिस्सेनुसार खातेदार है। वर्णित आराजीयात का बाहमी बटवारा हो ा है। तथा सायल व गैरसायल व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 9 अपने–अपने हिस्से पर काबिज दखील है। लेकिन कौन किस खसरा नम्बरान पर काबिज है पता नही चलता है इसलिये आये न डोल मेढ पर विवाद बना रहता है तथा सयुक्त खातेदारी मे रहकर काश्त करना संभव नही है। यल द्वारा अपने कुछ हिस्से मे कृषि विकासार्थ पाटौर पोश मकानियत बना रखी है।

बॉका दिनांक 15.02.2023 का है कि सायल अपनी हिस्से की आराजी मे खडी फसल देखभाल कर रहे थे कि गैरसायल आया तथा आराजी की नाप तौल करने लगे कि हम उक्त राजी को बेचन रहे है। सायल द्वारा यह कहने पर अगर तुमको उक्त आराजी बेचनी ही है तो ले तहसील मे चलकर बटवारा करा लेते है इतना सुनते ही गैरसायल नाराज हो गया तथा कहने गा कि हम ना तो कही जायेगे नाही बटवारा करायेगे तथा तुमको तुम्हारे कब्जे की आराजी से खल कर आराजी को बेचान करके रहेगे तथा दीगर व्यक्तियो को कब्जा करा कर रहेगे। इस कार गैरसायल अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तथा सायल को बेदखल कर या तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी

प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित है। सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ी होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को ता दावा सला पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम देवलेन की आराजी ख0न0 1052/2564/0.09, 1096/0.34, 99/0.33, 1100/0.02, 354/0.13, 501/0.14, 502/0.05, 503/0.09, 504/0.20, 920/0.24, 24/0.15, 925/0.10, 926/0.10, 927/0.11, 928/0.13, 929/2639/0.07 कुल किता 16 कुल कवा 2.29 है0 मे सायल के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे मुदाखलत नही करे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:51:19 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

ो को बेदखल नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये
ा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। रसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सायला वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित थ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम देवलेन की आराजी किता कुल रकवा 2.29 है0 मे सायल बहिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार दर्ज है बकिया हिस्से का रसायल व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 9 अपने—अपने हिस्सेनुसार खातेदार है। वर्णित आराजीयात ा बाहमी बटवारा हो रहा है। तथा सायल व गैरसायल व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 9 पने—अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील है। लेकिन कौन किस खसरा नम्बरान पर काबिज है पता ही चलता है इसलिये आये दिन डोल मेढ पर विवाद बना रहता है तथा सयुक्त खातेदारी मे रहकर श्त करना संभव नही है। सायल द्वारा अपने कुछ हिस्से मे कृषि विकासार्थ पाटौर पोश मकानियत ा रखी है। सायल का प्राईमाफेसी केश बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी सायल के क्ष मे साबित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को ता दावा सला पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 16 कुल रकवा 2.29 0 मे सायल के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, मौके व रिकार्ड ो यथास्थिति बनाये रखे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम देवलेन की जमाबन्दी सम्वत 2073—76 मे आराजी ख0न0 052/2564/0.09, 1096/0.34, 1099/0.33, 1100/0.02, 354/0.13, 501/0.14, 502/0.05, 03/0.09, 504/0.20, 920/0.24, 924/0.15, 925/0.10, 926/0.10, 927/0.11, 928/0.13, 29/2639/0.07 कुल किता 16 कुल रकवा 2.29 है0 मे सायल अमरसिह 1/10 हिस्से का तथा रसायल धनसिंह 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के मुताबिक मावन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। सायल वकील द्वारा प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता के संबध मे काई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया जिससे कि थम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन अपूर्तनीय क्षति की शर्तो की पालना हो सके। अतः अस्थाई नेषेधाज्ञा की शर्तो की पालना नही होने, तथा गैरसायल सहखातेदार दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.18 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner